<u>उत्तर मध्य रेलवे</u>

महाप्रबंधक कार्यालय
राजभाषा विभाग
प्रयागराज

पत्र सं. उ.म.रे./रा.भा./13/मौ.पु.ले./रेल यात्रा वृत्तांत पुर. योजना

दिनांक : 04.04.2025

अपर महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य इंजीनियर, प्रधान वित्त सलाहकार,
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक,
प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर,
प्रधान मुख्य सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी,
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), सचिव/महाप्रबंधक,
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उप महाप्रबंधक/सामान्य, मुख्य प्रबंधक/सूचना प्रौद्योगिकी,
उत्तर मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, प्रयागराज
मंडल रेल प्रबंधक - प्रयागराज, झाँसी, आगरा
मुख्य कारखाना प्रबंधक - वैगन मरम्मत कारखाना झाँसी, रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली,
सीएमएलआर कारखाना झाँसी, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना झाँसी

विषय : रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना - (वर्ष-2025)
संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. हिंदी-2025/प्रशि.-7/4 दिनांक 03.04.2025.

रेलवे बोर्ड ने अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि रेल कर्मियों सहित जन साधारण के रेल यात्रा संबंधी अनुभव प्राप्त करने और उन अनुभवों के आधार पर रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा उनमें हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय की **''रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना''** अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है :-

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	रु.10,000/-
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	रु. 8,000/-
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	रु. 6,000/-
प्रेरणा पुरस्कार (पाँच)	-	रु. 4,000/- प्रत्येक

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग/मंडल/कार्यालय में इस योजना का व्यापक प्रचार कराएं तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जाए ताकि अधिकाधिक रेल अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकें। कृपया उपर्युक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखे गए यात्रा वृत्तांत की 3 टंकित प्रतियां दिनांक **30.06.2025** तक इस कार्यालय में अवश्य भिजवाने की व्यवस्था की जाएं ताकि उन्हें समय पर रेलवे बोर्ड भेजा जा सके। अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों आदि के रेल यात्रा वृत्तांत सीधे रेलवे बोर्ड को भी भेजे जा सकते हैं। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न है।

संलग्न : यथोक्त

04/04/25
(चन्द्र भूषण पाण्डेय)
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी
कृते महाप्रबंधक (राजभाषा)

रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

1.	**प्रतियोगिता का नाम**	रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना		
2.	**पुरस्कार की राशि**	प्रथम पुरस्कार (एक)	-	रु. 10,000/-
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	रु. 8,000/-
		तृतीय पुरस्कार (एक)	-	रु. 6,000/-
		प्रेरणा पुरस्कार (पाँच)	-	रु. 4,000/- प्रत्येक

3. **पात्रता** — कोई भी भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है।

4. **प्रस्तुतीकरण** — रेल यात्रा वृत्तांत हिंदी भाषा में होना चाहिए और मौलिक होना चाहिए। रेल यात्रा वृत्तांत न्यूनतम 3000 शब्दों और अधिकतम 3500 शब्दों तक का होना चाहिए और डबल स्पेस में टाइप किया हुआ होना चाहिए, जिसके चारों तरफ कम से कम एक इंच का हाशिया होना चाहिए। पृष्ठ क्रमानुसार अंकित होने चाहिए। वृत्तांत के पहले पृष्ठ के ऊपर एक अलग पन्ना लगाया जाए, जिस पर बड़े अक्षरों में निम्नलिखित विवरण दिए जाएं :-

   1. शीर्षक : रेल यात्रा वृत्तांत – 2025
   2. उप शीर्षक : लेखक द्वारा दिया गया शीर्षक
   3. नाम (हिंदी में) :
      नाम (अंग्रेजी में) :
   4. पदनाम :
   5. आयु :
   6. पता : कार्यालय :

      निवास :

   7. मातृभाषा :
   8. रेलवे फोन नं. :
   9. मोबाइल नं. :
   10. ई-मेल :
   11. वृत्तांत के शब्दों की संख्या :

5. **रेल यात्रा वृत्तांतों की संख्या** — प्रत्येक प्रतिभागी को केवल एक रेल यात्रा का वृत्तांत 3 प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. **रेल यात्रा वृत्तांत भेजने की अंतिम तारीख** — प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 30.06.2025 तक निरपवाद रूप से इस कार्यालय में भिजवा दें। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. **रेल यात्रा वृत्तांतों की चयन प्रक्रिया**
   1. जिन रेल यात्रा वृत्तांतों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हो, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

2. इस योजना में भाग लेने के इच्छुक केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का सतर्कता/अनुशासन एवं अपील नियम से संबंधित मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है।

   जो आवेदक सरकारी सेवा में नहीं हैं, उन्हें इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ न तो किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला चल रहा है और न ही वे किसी प्रकार की सजा भुगत रहे हैं।

3. रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों के चयन करने के लिए 03 सदस्यों की समिति गठित की जाएगी, जिसमें 02 विद्वानों सहित निदेशक, राजभाषा सदस्य सचिव होंगे।

4. रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्राप्त रेल यात्रा वृत्तांतों की चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

5. ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे। यदि किसी वर्ष प्राप्त रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।

8. **अंतिम निर्णय** — पुरस्कार दिए जाने के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

9. **प्रकाशन** — पुरस्कृत रेल यात्रा वृत्तांत तथा कोई ऐसा रेल यात्रा वृत्तांत जिसे रेलवे बोर्ड, विशेष रूप से प्रकाशन की दृष्टि से उपयुक्त समझता हो, बोर्ड के स्वविवेक पर किसी भी रूप में प्रकाशित किया जा सकेगा।

10. **प्रतिलिप्याधिकार** — पुरस्कृत रेल यात्रा वृत्तांतों का प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के पास रहेगा।

अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों आदि के रेल यात्रा वृत्तांत सीधे निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं, जिसके लिए अंतिम तारीख 31.07.2025 है :-

सहायक निदेशक, हिंदी (प्रशिक्षण) शाखा,
कमरा नं. 316,
कॉफमो रेल कार्यालय परिसर,
तिलक ब्रिज, आईटीओ, नई दिल्ली - 110002

*****

रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना

केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाला घोषणा पत्र

घोषणा पत्र

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का सतर्कता अथवा अनुशासन एवं अपील नियम से संबंधित मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है।

लेखक के हस्ताक्षर :

लेखक का पूरा नाम :
कार्यालय का पूरा पता :

दिनांक :
स्थान :

मोबाइल नंबर :
ई-मेल पता :